



Neutral Citation No. - 2026:AHC:127882

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20079/2026

सोनू कुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक के अधिवक्ता : सुधांशु प्रताप सिंह

विपक्षी पक्षकार के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान ए.जी.ए. की दलीलें सुनीं।
2. यह जमानत आवेदन मुकदमा अपराध सं. 192/2025, अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) बी.एन.एस. और धारा 60/63 आबकारी अधिनियम, पुलिस थाना-नासिरपुर, ज़िला-फिरोज़ाबाद में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। अभिकथित अपराध से उसका कोई लेना-देना नहीं है। अधिवक्ता का यह भी कहना है कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-अभियुक्त प्रदीप कुमार को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 45970/2025 में 16.03.2026 के आदेश से जमानत दे दी थी। उन्होंने आगे कहा कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 02.04.2026 से जेल में है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



4. दूसरी ओर, ए.जी.ए. ने जमानत देने का विरोध किया, लेकिन वे इस तथ्य को नकार नहीं सके कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-अभियुक्त प्रदीप कुमार को इस न्यायालय की एक अन्य पीठ ने जमानत दे दी थी।

5. मैंने दोनों पक्षों के अधिवक्ता की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री को परीक्षण किया है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, और खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसी तरह के मामले में शामिल सह-अभियुक्त प्रदीप कुमार को इस न्यायालय की एक पीठ ने जमानत दे दी है और उस आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय ने न तो रद्द किया है और न ही उस पर रोक लगाई है, और आवेदक 02.04.2026 से जेल में है, इसलिए मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. आवेदक - **सोनू कुमार**, जो ऊपर बताए गए आपराधिक वाद में शामिल है, को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रत्येक पेश करे और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे। साथ ही, जमानत का आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन-पत्र देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में मौजूद हों और सबूत के लिए तारीख तय हो, तो वह सुनवाई टालने की मांग नहीं करेगा। अगर इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

(ii) आवेदक को तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। बिना किसी ठोस कारण के अनुपस्थित रहने पर, विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भा.दं.सं. की धारा 229-ए / बी.एन.एस. की धारा 269 के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) अगर आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दं.प्र.सं. की धारा 82 / बी.एन.एस.एस. की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख पर न्यायालय के सामने पेश नहीं होता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार भा.दं.सं. की धारा 174-ए / बी.एन.एस. की धारा 209 के तहत कार्रवाई शुरू करेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(iv) आवेदक को (1) वाद की शुरुआत, (2) आरोप तय करने और (3) दं.प्र.सं. की धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिए तय तारीखों पर विचारण न्यायालय के सामने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा। अगर विचारण न्यायालय को लगता है कि आवेदक का अनुपस्थित रहना जानबूझकर या बिना किसी ठोस कारण के है, तो विचारण न्यायालय इस चूक को ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और कानून के अनुसार उसके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकता है।

9. ऊपर बताई गई शर्तों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर ज़मानत रद्द की जा सकती है।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई टिप्पणियाँ, गवाहों के बयानों के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में संबंधित विचारण न्यायाधीश को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेंगी।

(विवेक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

17 जून, 2026

कीर्ति

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”